विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2015/4116 दिनांक :- 07/X/2016

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

विक्रम विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र।

विषय :- महाविद्यालयीन शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची वर्ष 2017 का प्रकाशन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में परिनियम क्रमांक 19 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2017(01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2017) के लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में नियमित पदों पर कार्यरत प्राचार्य तथा समस्त श्रेणियों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है।

सूची में नाम सम्मिलित करवाने हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र संलग्न भेजते हुए निवेदन है कि,प्रपत्र की पूर्ति कर 15.10.2016 तक प्रमाण सहित प्राचार्य के माध्यम से पूर्ण जानकारी भेजने का कष्ट करें। दिनांक 15.10.2016 के पश्चात आवेदन पत्र ,ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किये जावेंगे।

यदि अधिक प्रपत्र की आवश्यकता हो तो कृपया छायाप्रति करवाने का कष्ट करें।

कृपया निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें :-

01. जिन अध्यापको का नाम वर्ष 2016 की सूची में उचित स्थान पर शामिल हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
02. यदि संस्था में पुर्व पदस्थ शिक्षक पदोन्नत/स्थानान्तरित हो गए हो तो उनकी पूर्ण जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।
03. संस्था में पदस्थ ऐसे नियमित शिक्षक जिनके नाम वर्ष 2016 की सूची में सम्मिलित नहीं थे, उनकी पूर्ण जानकारी समयावधि में भेजना सुनिश्चित करें।

सुलभ संदर्भ हेतु वर्ष 2016 की सूची संलग्न है।

संलग्न :- 01. वर्ष 2016 के लिए प्रकाशित शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची।

02. आवेदन प्रपत्र।

आदेशानुसार

24.9.16

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

Dextop/P.Meeting/40

आवश्यक निर्देश

(1) समस्त अध्यापकों से निवेदन है कि प्रारूप की पूर्ति पूर्ण रूप से करें और नियुक्ति/पदोन्नति के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। जिनके नाम वर्तमान पदानुसार ज्येष्ठता सूची में अंकित हैं, वे पुनः आवेदन प्रपत्र न भरें।

(2) कृपया प्रोफेसर के लिये आचार्य, रीडर के लिये उपाचार्य तथा लेक्चरार के लिये प्राध्यापक शब्द का उपयोग करें।

(3) उपर्युक्त कालम नं. 6 में जिस पद पर कार्यरत हैं, उस पद पर कार्य ग्रहण करने की व्यवधान रहित तिथि का ही उल्लेख किया जाय। उदाहरणार्थ यदि किसी अध्यापक की पदोन्नति इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बाहर के महाविद्यालय में हुई हो और यदि उसका स्थानान्तर इस क्षेत्राधिकार में हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में पदोन्नत पद पर प्रथम बार कार्य-ग्रहण करने की तिथि ही दर्शायी जाय न की वर्तमान में जिस महाविद्यालय में कार्यरत हैं उसमें कार्य-ग्रहण की तिथि।

(4) किसी पद विशेष पर सेवाकाल में व्यवधान होगा, तो पूर्व धारित पद का सेवाकाल सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(5) प्रत्येक आवेदन-पत्र, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य/अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित करवाकर पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिशः विश्वविद्यालय को भेजा जाय।

(6) समस्त प्राचार्यों को आवेदन प्रपत्र भर कर भेजना आवश्यक है।

(7) चरण 4 (क) में विषय के साथ यदि विभागाध्यक्ष भी हैं, तो स्पष्ट लिखा जाय।

(8) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित महाविद्यालय/अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत जिन अध्यापकों ने वर्तमान पद के अनुसार अपना आवेदन-प्रपत्र भर कर वि. वि. में प्रस्तुत कर दिया है, वे कृपया पुनः आवेदन न करें। उनका नाम यथा समय आगामी सूची में सम्मिलित कर लिया जायगा।

(9) जिन अध्यापकों के नाम वर्तमान ज्येष्ठता सूची में पूर्व धारित पद के अनुसार अंकित हैं, किन्तु पदोन्नति अथवा क्रमोन्नति के फलस्वरूप पद नाम परिवर्तन हो गया हो तो वे पदोन्नति/क्रमोन्नति की तिथि का उल्लेख करते हुए पुनः आवेदन करें। किंतु वर्तमान ज्येष्ठता सूची में अंकित पूर्वधारित पद ग्रहण करने की तिथि एवं क्रमांक उल्लेख अवश्य करें, जिससे उनका नाम पूर्व स्थान (वर्ग) से हटा कर वर्तमान वर्ग में यथा स्थान पर सम्मिलित किया जा सके।

(10) वि. वि. के क्षेत्राधिकार के बाहर स्थानान्तर हो जाने के कारण जिन अध्यापकों का नाम सूची से निरस्त कर दिया हो, यदि वे पुनः इस वि. वि. से सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानान्तरित होकर आते हैं, तो उन्हें पुनः आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा, तब ही उनका नाम आगामी सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(11) ज्येष्ठता सूची में अंकित वर्तमान पद ग्रहण करने की तिथि में, बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(12) यदि एक से अधिक अध्यापक एक ही तिथि को पद-ग्रहण करते हैं तो उनकी ज्येष्ठता पूर्व धारित पद अथवा वय के अनुसार निर्धारित की जायगी।

(13) समस्त अध्यापकों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर, निर्धारित है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र सूची में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।

(14) अध्यापकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ज्येष्ठता सूची तैयार की जाकर उसे यथा सम्भव दिनांक 15 नवम्बर तक प्रकाशित कर दी जायगी।

(15) ज्येष्ठता सूची प्रकाशित होने के पश्चात् यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो सूची प्रकाशित होने के 20 दिवस की अवधि में प्रमाण सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि भविष्य में उसमें सुधार किया जा सके।

(16) दिनांक 31 दिसम्बर को आगामी वर्ष के लिए सूची को अंतिम रूप दे दिया जायगा।

(17) अध्यापक अपने विषय के विशिष्टीकरण (स्पेशलाइजेशन) का यदि हो तो उल्लेख करने का कष्ट करें।

विशिष्ठीकरण ....

....

विविमु–11.94–4ह–208

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.)

अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन-पत्र

(कृपया वर्तमान पद पर अपनी नियुक्ति अथवा पदोन्नति सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

प्रति,

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन (म. प्र.) 456 010

महोदय,

निवेदन है कि शिक्षकों की वर्तमान ज्येष्ठता सूची में.................................. (पद) के वरिष्ठता में कृपया मेरा नाम यथा स्थान सम्मिलित करने का कष्ट करें। मेरी सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

1 पूरा नाम (डॉ./श्री/कु./श्रीमती)..................................

2 पिता का नाम..................................

3 जन्मतिथि..................................

4 (क) वर्तमान पद का नाम.................................. विषय..................................

(ख) नियुक्ति का प्रकार (तदर्थ/नियमित) कृपया स्पष्ट उल्लेख करें..................................

5 शिक्षण संस्था का नाम (जिसमें कार्यरत हैं)..................................

6 वर्तमान पद पर बिना किसी व्यवधान के नियमित रूप से नियुक्ति (कार्य ग्रहण) की प्रारम्भिक तिथि.................................. (पूर्व में तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षक, नियमितिकरण की तिथि ही अंकित करें)

7 वर्तमान पद की वेतन श्रेणी..................................

8 शैक्षणिक योग्यता : स्नातकोत्तर उपाधि का नाम.................................. श्रेणी .... सन्..............

: वि. वि. का नाम जहाँ से उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की..................................

: यदि एम. फिल. या पीएच. डी. किया हो तो उसका भी उल्लेख करें..................................

9 अध्यापन अनुभव : स्नातक कक्षाएँ, वर्ष.................................. माह..................................

: स्नातकोत्तर कक्षाएँ, वर्ष.................................. माह..................................

10 वर्तमान पद के पूर्व (क्रमानुसार) धारित अध्यापन पद (लेक्चरार, रीडर, प्रोफेसर आदि) :—

पूर्व पद का नाम	शिक्षण संस्था का नाम	कार्यकाल (दिनांक से दिनांक तक)	वेतन श्रेणी

टिप्पणी :—1 म. प्र. शासन की सेवा में नियुक्त शिक्षकों को उन विभिन्न महाविद्यालयों के नाम देने की आवश्यकता नहीं है जहाँ वे किसी निश्चित सामर्थ्य में पदस्थ किए गए थे।

2 पद (प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक) में परिवर्तन की जानकारी, नियुक्ति की तिथि तथा वेतन श्रेणी के साथ दी जा...

घोषणा—मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण पूर्णतः सत्य है, तथा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है।

स्थान..................................

दिनांक..................................

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

पूरा नाम..................................

पद..................................

निवास स्थान का पता..................................

....

दूरभाष क्रमांक (यदि हो तो)..................................

{कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर
सत्यापित एवम् प्रतिहस्ताक्षरित।

....

प्राचार्य/अध्यक्ष के हस्ताक्षर

शिक्षण संस्था का नाम..................................

(मुहर)..................................